न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 35/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिषेक पुत्र श्री प्रहलाद कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. मखनी देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. विजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. प्रहलाद कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. नीरज कुमार पुत्र श्री विजय कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सोनू पुत्री श्री विजय कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 22.02.2024

वादी अभिषेक ने प्रतिवादीगण मखनी देवी वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी, प्रतिवादी सं. 2 वादी का चाचा, प्रतिवादी सं. 3 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 4 वादी का चचेरा भाई व प्रतिवादी सं. 5 वादी की चचेरी बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी की दादी प्रतिवादीया सं. 1, वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 2, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.602 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.15 12:16:36 IST
Reason: SelfAttested

लगातार — 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 5 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं. 5 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) **वादी अभिषेक पुत्र श्री प्रहलाद कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.602 है. कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 ता 4 क्रमशः मखनी देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार, विजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार, प्रहलाद कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार एवं नीरज कुमार पुत्र श्री विजय कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.602 है. कृषि भूमि में 4/5 हिस्सा कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह [illegible] करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.03.15 12:16:
Reason: SelfAttested

तहसीलदार एवं ... अधिकारी संगरिया

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर गीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीया सं. 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीया सं. 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी की दादी प्रतिवादीया सं. 1, वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 2, वादी के पिता प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.602 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण एवं प्रतिवादीया सं. 5 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। अतः वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं.

लगातार --4

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.03.15 12:16
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में दर्ज कुल 8.602 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.783 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 1.518 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 4 को 2.783 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 नाम कलमजन तथा प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खंगारिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.15 12:16:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय **सहायक** कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 35/2024

अभिषेक पुत्र श्री प्रहलाद कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

मखनी देवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

विजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

प्रहलाद कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

नीरज कुमार पुत्र श्री विजय कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सोनू पुत्री श्री विजय कुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22.02.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में दर्ज 8.602 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.783 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 1.518 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 4 को 2.783 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार **घोषित** कर प्रतिवादीया सं. 1 नाम कलमजन तथा प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X..... निल .....X..... निल .....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना ... की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.15 12:16:36 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.02.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official